

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी— श्री महावीर प्रसाद नायक, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० — तारीख दायर तारीख फैसला
06/2019/प्रार्थना पत्र 03.01.2019 05.09.2019

उनवान

- 1- उगमा पिता देवा भील नि० खेड़ा राजपुरा तहसील फूलियाकलां
- 2- सीता पत्नि दूदा भील नि० खेड़ा राजपुरा तहसील फूलियाकलां

— प्रार्थीगण

बनाम

- 1- घीसा पिता रामदयाल कीर नि० खेड़ा राजपुरा तह० फूलियाकलां
- 2- हरदेव पिता सुखा कीर नि० खेड़ा राजपुरा तह० फूलियाकलां
- 3- हिन्दु पिता छोटू कीर नि० खेड़ा राजपुरा तह० फूलियाकलां
- 4- मैरू पिता भुवाना भील नि० खेड़ा राजपुरा तह० फूलियाकलां
- 5- बद्री पिता नानू कीर नि० खेड़ा राजपुरा तह० फूलियाकलां

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्री राजेश वर्मा : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा — 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम खेड़ा राजपुरा पटवार हल्का सांगरिया तहसील फूलियाकलां ने प्रार्थीगण के खातेदारी की जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 130 आ०न० 455/660 रकबा 0.15 है० कुल किता 01 रकबा 0.15 है० व खाता संख्या 4 आ०न० 33 रकबा 0.24 है०, आ०न० 313 रकबा 0.16 है०, आ०न० 314 रकबा 0.07 है०, आ०न० 315 रकबा 0.05 है०, आ०न० 455/658 रकबा 0.26 है०, आ०न० 456 रकबा 0.16 है०, आ०न० 457 रकबा 0.16 है०, आ०न० 467 रकबा 0.22 है० आ०न० 468/659 रकबा 0.09 है० कुल किता 09 रकबा 1.41 है० भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण न० 1 व 5 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल



काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं० 1 मे वर्णित आराजीयात की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थीगण की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 05.09.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 व 5 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विरुद्ध दिनांक 05.09.2019 को एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एक तरफा बहस करनी चाही जिससे उनकी बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। ग्राम खेड़ा राजपुरा पटवार हल्का सांगरिया तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के खाता संख्या 130 आ०न० 455/660 रकबा 0.15 है० कुल किता 01 रकबा 0.15 है० व खाता संख्या 4 आ०न० 33 रकबा 0.24 है०, आ०न० 313 रकबा 0.16 है०, आ०न० 314 रकबा 0.07 है०, आ०न० 315 रकबा 0.05 है०, आ०न० 455/658 रकबा 0.26 है०, आ०न० 456 रकबा 0.16 है०, आ०न० 457 रकबा 0.16 है०, आ०न० 467 रकबा 0.22 है० आ०न० 468/659 रकबा 0.09 है० कुल किता 09 रकबा 1.41 है० के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजीयात की पत्थरगढी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण 1 लगायत 5 के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम खेड़ा राजपुरा पटवार हल्का सांगरिया तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के खाता संख्या 130 आ०न० 455/660 रकबा 0.15 है० कुल किता 01 रकबा 0.15 है० व खाता संख्या 4 आ०न० 33 रकबा 0.24 है०, आ०न० 313 रकबा 0.16 है०, आ०न० 314 रकबा 0.07 है०, आ०न० 315 रकबा 0.05 है०, आ०न० 455/658 रकबा 0.26 है०, आ०न० 456 रकबा 0.16 है०, आ०न० 457 रकबा 0.16 है०, आ०न० 467



रकबा 0.22 है० आ०न० 468/659 रकबा 0.09 है० कुल किता 09 रकबा 1.41 है० की प्रार्थीगण के खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 700/- (अक्षरे सात सौ रुपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थीगण से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 05.09.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(महावीर प्रसाद नायक)

आ००००००००

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

सहायक कलेक्टर

फूलिया कलां जिला-भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

फूलिया कलां जिला-भीलवाडा